ई मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2016–17/5910-75 लखनऊः दिनांक 26 अक्टूबर 2016

विषयः **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोगी कल्याण समिति के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या 1545/पांच–1–2016, चिकित्सा अनुभाग–1, दिनांक 17.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर रोगी कल्याण समिति के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये गये है, जो कि पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र रोगी कल्याण समिति के गठन कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

26/10/16

महानिदेशक,
परिवार कल्याण।

पृ0प0सं0: प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2016–17/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
2– मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
3– अपर मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
4– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5– महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
6– महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम., एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
7– समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन कन्सल्टेंट/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

महानिदेशक,
परिवार कल्याण।

ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2016–17/ लखनऊः दिनांक 26 अक्टूबर 2016

विषयः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोगी कल्याण समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या 1545/पांच–1–2016, चिकित्सा अनुभाग–1, दिनांक 17.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर रोगी कल्याण समिति के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये गये है, जो कि पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र रोगी कल्याण समिति के गठन कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण।

पृ0प0सं0: प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2016–17/5986-9 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
2– मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
3– अपर मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
4– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5– महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
6– महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम., एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र।
7– समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन कन्सल्टेंट/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

26/10/16

महानिदेशक,
परिवार कल्याण।

संख्या–1545 /पांच–1–2016

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

विषय– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोगी कल्याण के सम्बंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 131 शहरों/कस्बों में प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया है। अभी तक प्रदेश में कुल 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जा रहे है जिसमें स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी शहरी स्वास्थ्य इकाइयों तथा एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को सुदृढीकरण कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया गया है एवं 180 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति के गठन हेतु निर्णय लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रोगी कल्याण समिति के गठन के लिए निम्न दिशा–निर्देश तैयार किये गये हैं जिसके अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गठित रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण कराया जायेगा इस समिति के नियंत्रणाधीन यूजर चार्जेज तथा दान आदि से प्राप्त धनराशि को भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार रखा जायेगा एवं इसका उपयोग किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति का उद्देश्य–

- सरकार द्वारा जारी समुचित चिकित्सकीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के न्यूनतम मानकों तथा उपचार के निर्धारित मानको की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना ।
- जन सामान्य के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व निर्धारण।
- वित्तीय प्रबंन्धन के लिए पारदर्शिता अपनाया जाना।
- चिकित्सा इकाई पर प्रदान की जा रही सेवाओं तथा आउटरीच सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण।
- चिकित्सालय एवं इसके प्रशासनिक कार्यक्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण।
- चिकित्सालय के क्षेत्रान्तर्गत आउटरीच सेवायें/स्वास्थ्य कैम्प आयोजित करना।
- चिकित्सा इकाई पर नागरिक अधिकार पत्र का प्रदर्शन तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया के माध्यम से इसका अनुपालन।
- स्थानीय स्तर पर डोनेशन यूजर चार्जेज तथा अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाना।
- स्वास्थ्य सुविधओं के उच्चीकरण हेतु निजी संस्थाओं को सम्बद्ध करना।
- राजकीय दिशा निर्देशों के अनुक्रम में चिकित्सालय परिसर की भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय संचालन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय अपशिष्ट का मानकानुसार वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण।
- चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना।

- रोगियों एवं उनके सम्बंधियों के लिए कम दरों पर भोजन, औषधि, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ चिकित्सा परिसर की सुविधा सुनिश्चित किया जाना।
- चिकित्सालय भवन, उपकरण एवं मशीनों का समुचित उपयोग, मरम्मत एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जाना।

कार्य एवं गतिविधियॉः–

उपर्युक्त उद्देशयों की पूर्ति के लिए समिति अपने संसाधनों के माध्यम से निम्न गतिविधियां/कार्यवाही करेगीः–

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगियों के सम्मुख आ रही समस्याओं को चिन्हित करना।
- चिकित्सालय हेतु उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय/दान/ किराये पर लिये जाने की व्यवस्था करना।
- राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा परामर्श के अनुसार चिकित्सालय भवन का विस्तारीकरण।
- चिकित्सालय भवन, वाहनों एवं चिकित्सालय में उपलब्ध उपकरणों के रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- रोगियों के रहने एवं खाने की व्यवस्था में सुधार करना।
- सहयोगी सेवाएं जैसे –सफाई, लॉन्ड्री, जांचें तथा परिवहन व्यवस्था हेतु निजी सेक्टर/व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की व्यवस्था करना।
- चिकित्सालय के रख–रखाव के लिए सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- संसाधन संरक्षण के लिए वार्डो का किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा अंगीकृत किये जाने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना।
- चिकित्सालय के नैत्यिक प्रबंधन हेतु एक अनुकूल वातावरण एवं चिरस्थायी व्यवस्था अपनाया जाना जैसे–चिकित्सालय अपशिष्ट का मानकानुसार वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण सौर प्रकाश, सौर प्रशीतन व्यवस्था, जल संरक्षण एवं जल संचयन प्रणाली आदि।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रोगी कल्याण समिति के तीन अंग होंगेः–

1. शासी निकाय (गर्वनिंग बाडी)
2. कार्यकारी समिति
3. अनुश्रवण समिति

1. शासी निकाय :– शासी निकाय का गठन निम्नवत् प्रस्तावित है–

जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो अपर नगर मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर का न हो।	अध्यक्ष
नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 (जो उपमुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो)	सह अध्यक्ष
प्रभारी चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
वार्ड सदस्य	सदस्य
डूडा के प्रतिनिधि	सदस्य
सी0डी0पी0ओ0 (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
बेसिक शिक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित क्षेत्र के विशिष्ट नागरिक	सदस्य
एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधि	सदस्य

नोट – जिन जनपदों में 30 से अधिक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है उन शहरों में मुख्य चिकित्साधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी (जो उपमुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो) को अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते है।

शासी निकाय की कार्यवाही– शासी निकाय की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अध्यक्ष के निर्णयानुसार स्थान एवं समय पर होगी। यदि अध्यक्ष से शासी निकाय के एक तिहायी सदस्यों द्वारा बैठक कराने का अनुरोध प्राप्त होता है तो अध्यक्ष यथाशीघ्र किसी स्थान पर बैठक आहुत कर सकता है।

1. शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में निम्न न्यूनतम कार्य सम्पादित किये जायेगें–
   - शासन द्वारा जारी किये गये मानको एवं नियत कार्यवाही का अनुपालन।
   - चिकित्सालय की विगत त्रैमास की ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 सेवाओ की समीक्षा तथा आगामी त्रैमास के लक्ष्यों पर निर्णय।
   - विगत त्रैमास में की गयी आउटरीच सेवाओं की समीक्षा तथा आगामी त्रैमास की कार्ययोजना।
   - जनसमान्य, व्यापार/उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाएं यथा आई0एम0ए0 एवं फॉग्सी की स्थानीय शाखाओं के माध्यम से संसाधनों के परिचालन हेतु किये गये प्रयासों की समीक्षा
   - अनुश्रवण समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की समीक्षा।
   - विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से उपकरण एवं औषधियों के उपयोग की समीक्षा।
   - चिकित्सालय में नागरिक अधिकार पत्र प्रदर्शित किये जाने पर अनुपालन की समीक्षा तथा चिकित्सालय के शिकायत निवारण पद्धति के प्रभावी होने की समीक्षा।
   - विगत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें निम्न सूचना सम्मिलित होगी– आय एवं व्यय का लेखा जोखा, बैलेंस शीट , ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा।
   - वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति।
   - आगामी वर्ष हेतु बजट सहित कार्ययोजना।
   - अन्य बिन्दु जो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठाये जाएगें।
2. उपयुर्क्त नियमित बिन्दुओं के अतिरिक्त सोसाइटी की विगत वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी।
3. शासी निकाय की किसी भी बैठक सम्बंधी सूचना में दिनांक, समय, स्थान का उल्लेख होगा तथा यह सूचना शासी निकाय के सभी सदस्यों को बैठक आयोजित होने की तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।
4. गवर्निंग बॉडी की बैठकों में अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। ऐसा न हो पाने की स्थिति में गवर्निंग बॉडी की बैठक में उपास्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को गवर्निंग बॉडी द्वारा अध्यक्ष चुना जायेगा।
5. गवर्निंग बॉडी की बैठक हेतु कोरम के लिये कम एक तिहाई सदस्य (जिसमें नामित एवं प्रतिस्थानीय भी सम्मिलित हैं) का उपस्थित होना अनिवार्य है।
6. समिति के पदेन सदस्य की सदस्यता उस समय समाप्त हो जायेगी, जब वो उस कार्यालय से मुक्त हो जायेगा तथा उसके स्थान पर आने वाला व्यक्ति सदस्य हो जायेगा।
7. नामित सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने की तिथि से 05 वर्ष तक कार्य कर सकेगें।
8. समिति अपने पंजीकृत कार्यालय पर एक पंजिका रखेगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य का पद/व्यवसाय तथा पता लिखा होगा तथा इस पंजिका पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेगें। किसी भी सदस्य को यह अधिकार नही होगा कि वो उपरोक्तानुसार पंजिका पर हस्ताक्षर किये बिना अपने अधिकारों का प्रयोग करें।
9. गवर्निंग बॉडी के सदस्य यदि त्याग पत्र देते हैं अथवा मानसिक रुप से अस्वस्थ, दिवालिया, अपराधिक मामलों में दोषी सदस्यों को पद को हटा दिया गया हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
10. सदस्यता से त्याग पत्र गवर्निंग बॉडी के संयोजक को व्यक्तिगत रुप से प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये तब तक मान्य नही होगा जब तक गवर्निंग बॉडी के तरफ से अध्यक्ष इसको स्वीकृत न कर दें।

11. यदि किसी सदस्य का पता बदला जाता है तो वह अपना नाम पता संयोजक को देगा जो कार्यकारी अधिकारी सदस्यों के विवरण सम्बन्धी पत्रिका में अंकित करेगें, परन्तु यदि कोई सदस्य अपना पता नही देता है तो सदस्यों की पंजिका में अंकित पता ही उसका पता माना जायेगा।
12. समिति में या गवर्निंग बॉडी में कोई भी रिक्त पद वही भरेगा जिसे इस प्रकार की नियुक्ति करने का प्राधिकार हो। समिति या गवर्निंग बॉडी का कोई भी कार्य या कार्यवाही, इस कारण से अवैध नहीं होगी कि पद रिक्त था या सदस्यों के चयन में कोई त्रुटि हो गयी थी।
13. सोसाइटी एवं गर्वर्निंग बॉडी का कोई भी सदस्य पारिश्रमिक के लिये अधिकृत नही होगा।

शासी निकाय के अधिकार :–

1. गवर्निंग बॉडी को समिति के सभी प्रकरणें पर पूर्ण नियन्त्रण होगा तथा समिति के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित कार्यों के लिये अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग करने का प्रधिकार भी होगा।
2. विशेष रुप से तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के गवर्निंग बॉडी निम्न कर सकती है:–
   - सोसाइटी के कार्यों से सम्बन्धित प्रशासन एवं प्रबन्धन सम्बन्धित बायलॉज को बनाना, सुधार करना, या निरस्त करना, जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित हो, बशर्ते कि–
     - प्रस्तावों को संशोधन हेतु जनपदीय स्वास्थ्य मिशन की गवर्निंग बॉडी के सम्मुख विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा जायेगा।
     - प्रस्तावों को संशोधन हेतु राज्य सरकार के नामित प्राधिकारी को भी पृष्ठांकित किया जायेगा।
     - उपर्युक्त पृष्ठांकन/अनुमोदन प्रक्रिया के उपरान्त प्रस्तावों को गवर्निंग बाडी के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
   - वार्षिक बजट तथा वार्षिक कार्ययोजना पर विचार तथा समय–समय पर गवर्निंग बॉडी के मतानुसार उचित प्रतीत हो रहे संशोधन के साथ प्रस्तुत करना।
   - समिति के आय के नियमित सोत्र को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय स्थिति का अनुश्रवण तथा वार्षिक आडिटेड एकाउन्ट की समीक्षा।
   - दान आदि को स्वीकार करना, तथा उचित प्रतीत होने पर अनुदान देना।
   - समिति द्वारा उचित पाये जाने की स्थिति में अध्यक्ष, संयोजक या अन्य प्राधिकारियों को, नियम बनाये जाने के अधिकारों को छोड़कर, अन्य अधिकार दिया जाना।
   - संयोजक को समिति की ओर से ऐसे अनुबन्ध कार्यान्वित किये जाने के लिये अधिकृत करना, जो सोसाइटी के लिये उचित हो।
   - औचित्यपूर्ण होने पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धारित शर्तों पर समिति, उपसमिति तथा बोर्ड की तैनाती एवं उनको हटाना जाना।
   - उचित पाये जाने पर, चिकित्सालय हेतु चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती तथा चिकित्सकीय सेवाओं के सुधार हेतु अन्य अनुबंध किया जाना।
   - सामान्यतता वे सभी कार्य/गतिविधि जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति/संचालन हेतु आवश्यक अथवा अनुशांगिक होगा। गवर्निंग बॉडी उनमें से कोई ऐसा कार्य नही करेगी, जो उसके नियमो में प्राविधानित नही है। इस प्रकार गवर्निंग बॉडी अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा अपनी ऐसी शक्तियों को प्रयोग नही करेगी, जो गवर्निंग बॉडी के उद्देश्यों के विपरीत होगी।
   - इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैण्डर्ड एवं नागरिक अधिकार पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।
   - चिकित्सा इकाई पर जन शिकायत निवारण प्रक्रिया की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
   - वित्तीय एवं क्रियान्वयन प्रबंधन में पारदर्शिता बढाए जाने के लिए कदम उठाया जाना।

शासी निकाय के अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बैठकें बुला सकेगा तथा सभी बैठकों का संचालन कर सकेगा।
2. अध्यक्ष स्वयं अथवा कियी भी समय अपने हस्ताक्षर से लिखित रुप में संयोजक से गवर्निंग बॉडी की बैठक बुला सकता है। ऐसी स्थिति में बैठक किसी भी समय संयोजक द्वारा आहूत कराई जा सकती है।
3. सोसाइटी/गवर्निंग बॉडी द्वारा प्रतिनिधानित/प्राधिकृत शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष कर सकेगा।
4. अध्यक्ष समिति के कार्यों एवं प्रगति को आवधिक रुप से समीक्षा करने एवं समिति के प्रकरणों में जॉच के आदेश दिये जाने हेतु प्राधिकृत है और जॉच समिति की संस्तुतियों को देखकर आदेश पारित कर सकता है।
5. आकस्मिकता की स्थिति में समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत अध्यक्ष को इन नियमों में से कोई भी ऐसा नियम नही है, जो किसी या सभी गवर्निंग बॉडी के अधिकारी के प्रयोग करने में रोक सके, फिर भी अध्यक्ष द्वारा ऐसे मौकों पर लिये गये निर्णय/कार्यवाही को गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को भेजकर/दिखाकर उनका अनुसमर्थन कराया जाना होगा।
6. गवर्निंग बॉडी की बैठक में उठाये गये सभी विवादास्पद प्रश्नों का निराकरण वोट (मत) के आधार पर किया जायेगा। गवर्निंग बॉडी के प्रत्येक सदस्य का एक वोट (मत) होगा परन्तु यदि मत बराबर–बराबर होगें तो अध्यक्ष अपना मत भी देगा।
7. यदि किसी अधिकारी सदस्य को किसी भी कारण से गर्वर्निंग बॉडी की बैठक में भाग लेने से रोका जाता है तो समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि गवर्निंग बॉडी की बैठक हेतु वह किसी प्रतिस्थानी को उसके स्थान पर नामित कर दे। प्रतिस्थानी को गवर्निंग बॉडी के समान अधिकार एवं लाभ केवल उस बैठक हेतु ही प्राप्त होगें।
8. गवर्निंग बॉडी की बैठक मे यदि कोई सदस्य कोई विधेयक लाने का इच्छुक हो तो उसे कम से कम बैठक के 3 दिन पहले से संयोजक को इसकी लिखित सूचना देनी होगी।
9. यदि गवर्निंग बॉडी के सम्मुख कोई आकस्मिक कार्य, एजेण्डा के अतिरिक्त जैसा कि उल्लिखित है, आ जाता है तो, इसे सभी सदस्यों को वितरित करके तथा एक विधेयक पारित करके जो कि अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोनित हो, से प्रभावी माना जा सकता है तथा ये विधेयक मान्य होगा, यदि, इसे गवर्निंग बॉडी की बैठक के दौरान एक तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुये हस्ताक्षरित कर दिया जाता है।
10. आकस्मिकता की स्थिति में समिति के अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी की तरफ से कोई निर्णय ले सकते हैं। इस निर्णय की सूचना गवर्निंग बॉडी को इसकी आगामी बैठक में अनुसमर्थन हेतु दी जायेगी।
11. बैठक के पश्चात इसके कार्यवृत्त की प्रति गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को बैठक आयोजित होने के बाद यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

बैठक का अन्तराल –शासी निकाय की बैठक प्रति 03 माह में एक बार की जायेगी।

2. कार्यकारी समिति

नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 (जो उपमुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो)	अध्यक्ष
प्रभारी चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
शासी निकाय द्वारा नामित दो प्रतिनिधि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं जल कल विभाग से सम्बंधित हो।	सदस्य
पार्ट टाइम चिकित्साधिकारी	सदस्य
फार्मासिस्ट	सदस्य

स्टाफ नर्स	सदस्य
वार्ड सदस्य	सदस्य
आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर	सदस्य
डूडा के प्रतिनिधि	सदस्य
बेसिक शिक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधि	सदस्य

नोट – जिन जनपदों में 30 से अधिक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, उन शहरों में मुख्य चिकित्साधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी (जो उपमुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो) को अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते है।

संयोजक द्वारा कार्यकारी समिति की बैठकें लिखित एजेण्डा सहित 07 दिन के नोटिस पर समय, तिथि एवं स्थान को अंकित करते हुये बुलायी जायेगी।

नियमित एजेण्डा –

- चिकित्सालय की विगत माह के आउटडोर एवं इन्डोर उपलब्धियों की समीक्षा एवं आगामी माह के लक्ष्य।
- विगत माह में किये गये आउटरीच कार्यो की समीक्षा एवं आगामी माह में आउटरीच कार्यो की योजना।
- अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट पर विचार एवं सुधारात्मक कार्यवाही।
- नागरिक अधिकार पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति।

बैठक का अन्तराल– कार्यकारी समिति की बैठक प्रति माह की जायेगी।

3. अनुश्रवण समिति

शासी निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य होगें।

बैठक का अन्तराल – अनुश्रवण समिति की बैठक प्रति 02 माह में एक की जायेगी।

गतिविधियां–

- चिकित्सालयों के वार्डो का विवरण।
- रोगियों से फीडबैक प्राप्त किया जाना।
- अस्पताल से विमुक्त करते समय रोगियों का लिखित गोपनीय फीडबैक।
- बाह्य रोगी विभाग में शिकायत पेटी के माध्यम से फीडबैक।
- रोगियों से सामान्य चर्चा के दौरान फीडबैक।

गतिविधियां :–

- अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट निम्न को प्रेषित की जायेगी–
- जिलाधिकारी
- अध्यक्ष कार्यकारी समिति
- चिकित्सालय समिति के अन्य सदस्य

सम्पतियों एवं सेवाओं हेतु अधिकारों का प्राविधानः–

चिकित्सलयों में अव्यवस्था एवं सेवाओं में गुणवत्ता की कमी आने का कारण नवीन निर्माण, उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण पर व्यय न कर पाना तथा आकस्मिक परिस्थितियों में धन की कमी, उपलब्ध संसाधनों का कुप्रबन्धन एवं प्रेरणा में कमी है। अतः ये आवश्यक है कि रोगी कल्याण समिति को आवश्यक परख सेवाओं की पूर्ति के लिये निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाया जाय। चिकित्सालय में यूजर चार्जेज का प्राविधान किया जाय, क्योंकि अनवरत आधार पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं तभी संभव होगीं, जब समुचित वित्तीय प्राविधान उपलब्ध होगें। राज्य की नीति के अनुरुप गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को उचित छूट दी जाय।

संसाधनों का उत्प्रेरण :– सोसाइटी में धनराशि की व्यवस्था निम्न सोत्रों से होगी–

- राज्य सरकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र की राज्य स्तरीय सोसाइटी/जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के स्तर से प्राप्त धनराशियों।
- व्यापार उद्योग संस्थाओं और व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान एवं सहयोग राशि।
- चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं हेतु लाभार्थियों से प्राप्त यूजर फीस।
- परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्त धनराशि।

लेखा एवं सम्प्रेक्षाः–

- समिति सभी धन एवं परिसम्पत्तियों का नियमित लेखा रखेगी।
- समिति की लेखों की वार्षिक सम्प्रेक्षा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म, जो राज्य सरकार द्वारा नामित सी.ए.जी. के पैनल द्वारा की जा सकती है।
- ऐसे सम्प्रेक्षा की रिपोर्ट सम्प्रेक्षकों द्वारा समिति को प्रस्तुत की जायेगी, जो सम्प्रेक्षा रिपोर्ट की एक प्रति अपनी टिप्पणियों के जिलाधिकारियों को प्रेषित करेगी।
- ऐसी सम्प्रेक्षाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान सोसाइटी द्वारा आडिटर को किया जायेगा।
- चार्टड एकाउन्टेंट या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई योग्य व्यक्ति समिति के लेखों की सम्प्रेक्षा करने में वही अधिकार, हक एवं दायित्व रखेगें जो कि राज्य के महालेखाकार राजकीय खातों के सम्प्रेक्षा करने में रखते है। विशेषकर उन्हें वही खाते, लेखा, सम्बन्धित रसीदों, अन्य आवश्यक अभिलेखों एवं कागजों को मागने का अधिकार होगा।

रोगी कल्याण समिति के खातों का संचालन –

समिति का एकाउन्ट शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में रखे जायेगें। Operational Guideline for Financial Management under NHM के अनुसार अन्य खातों की भाति समिति का खाता Saving Bank Account होगा। समिति के लेखा में दी गयी सभी राशियां नियुक्त बैंक के एकाउन्ट में जमा होगी तथा चेक बिल नोट अन्य निगोशियेबल स्टूमेंट या इलेक्ट्रानिक बैंकिग (ई–बैकिंग) प्रक्रियाओं जो कि समिति के सचिवालय के ऐसे प्राधिकारियों जिन्हें की शासी निकाय द्वारा अधिकृत किया जायेगा, द्वारा हस्ताक्षरित होने के अतिरिक्त नही निकाली जा सकती है।
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत रोगी कल्याण समिति के खातों के संचालन हेतु निम्न व्यवस्था की जा रही है–

- *जनपद के नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0, जो उपमुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो प्रथम संयुक्त हस्ताक्षरी होगें।*
- *नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी होंगें।*

वार्षिक रिपोर्टः–

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के त्रैमास में आयोजित की जाने वाली गवर्निंग बॉडी की अगली बैठक में वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा का प्रारुप विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।
- गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा की एक–एक प्रति वित्तीय वर्ष के समापन के 06 माह के अन्तर्गत निम्न को प्रेषित की जायेगी–
    - जिलाधिकारी
    - गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष
    - कार्यकारी समिति के अध्यक्ष
    - अध्यक्ष नगर निगम

वाद एवं विधिक कार्यवाहियॉः–

- समिति सदस्य सचिव के नाम से वाद कर सकती है अथवा उस पर वाद हो सकता है।

- समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव अथवा किसी अधिकृत प्राधिकारी के पदारुढ़ ना रहने/स्थान रिक्त होने की स्थिति में कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाही समाप्त नही होगी।
- समिति के विरुद्ध कोई डिगरी या आदेश समिति की परी सम्पत्तियों के विरुद्ध ही लागू किया जा सकेगा न कि समिति के अध्यक्ष/ सदस्य सचिव या किसी पदाधिकारी या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध।
- उप नियम में दिये गये कोई अंश से समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव या किसी पदाधिकारी का किसी अपराधिक उत्तरदायित्व से बचाव नही हो सकेगा या वो समिति की सम्पत्ति से किसी हर्जाने के हकदार नही होगें, यदि उनके विरुद्ध किसी अपराधिक न्यायालय में दोष सिद्ध हुआ हो तो उन्होनें कोई अर्थदण्ड का भुगतान किया हो।

संसोधन–

- समिति उसके नियमों में संशोधन कर सकती है अथवा इसका विस्तार कर सकती है, जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। बशर्ते कि से संशोधन नियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार किये जायें।

विलयन/समापनः–

- गवर्निंग बॉडी समिति के समापन के उद्देश्य से बुलाई गई विशेष बैठक में समिति के समापन का प्रस्ताव पारित कर सकती है बशर्ते विलयन का प्रस्ताव संशोधन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित/पृष्ठांकित किया गया है।
- विलयन की प्रक्रियायें राज्य में संशोधन के नियमों कि प्राविधानों के अनुसार ही बनाई जायेगी।
- समिति के सत्यापन पर, समिति की परिसम्पत्तियॉ, समिति के सभी ऋण और देनदारियों के निपटान के बाद में राज्य सरकार मे निहित होगी।

अनुबन्ध :–

- समिति के लिए या उसकी तरफ से सभी अनुबन्ध या उपस्कर इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगें तथा समिति के नाम से गवर्निंग बॉडी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जायेगें।
- समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति की तरफ से किसी अन्य समिति के साथ किसी सामान की आपूर्ति, क्रय या विक्रय का अनुबन्ध नही किया जाएगा, यदि वह सदस्य या उसका कोई सम्बन्धी दूसरी समिति में भागीदार या शेयरधारक है या किसी निजी कम्पनी जिसमें वह सदस्य या उसका कोई सम्बन्धी दूसरी समिति में भागीदार या शेयरधारक है या किसी निजी कम्पनी जिसमें वह सदस्य या उसका कोई सम्बन्धी, भागीदार या शेयरधारक है, के साथ ऐसा अनुबन्ध नही किया जायेगा।

सामान्य मुहर–

- समिति की उस रुपरेखा और डिजाइन की मुहर होगी जैसे कि गवर्निंग बाडी अनुमोदित करें।

सरकार द्वारा समीक्षा के अधिकार :–

- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा जनपद स्तर पर अथवा उप जिला स्तर पर गठित रोगी कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. निजी सचिव सम्बंधित मा0 मंत्रीगण, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के सूचनार्थ।
6. अन्य सभी सम्बंधित सदस्यगण।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
11. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0 पी0 सिंह)
उप सचिव।